**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**

प्रथम तल , आईसीएडीआर बिल्डिंग, प्लॉट नं. 6, संस्थागत क्षेत्र, फेज –2,

वंसत कुंज, नई दिल्ली – 110070

फोन – 011–26897948 / 49

18.09.2015

## <u>सार्वजनिक सूचना</u>

(''सागा ट्रिप मार्केटिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं डी एस आर इलैक्ट्रोनिक और फाइनेंसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड'' के विरूद्ध)

चूंकि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि ''**सागा ट्रिप मार्केटिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड''** निर्दिष्ट पते यथा – 280, सरस्वती नगर, बढेरा कॉम्प्लेक्स के नजदीक , हिंगोली – 431513, महाराष्ट्र/फ्लैट न0 2, स्वप्निल अपार्टमेंट, मराठा समाज मंडल के पीछे, सांगली – 416416, महाराष्ट्र / राम नगर, प्लॉट न0 521, सीबीएस रोड, हिंगोली, महाराष्ट्र से कार्यरत है **और ''डी एस आर इलैक्ट्रोनिक और फाइनेंसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड''** निर्दिष्ट पते– 17 पालखीवाला बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, 296 शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई–400 001, महाराष्ट्र / ऑफिस न0 एल–237, ग्राउंड फ्लोर, ड्रीम द मॉल, एल बी एस, भांडूप वेस्ट, मुंबई–400 078 महाराष्ट्र / 5, अरिहंत 83/89, बोरा बाजार स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001, महाराष्ट्र से कार्यरत है एवं दोनों ही संस्थाएं स्वावलम्बन योजना के आवेदन प्रपत्रों को जारी कर रहीं हैं, आम लोगों से निधि का संकलन कर रही हैं और स्वावलम्बन तथा पीएफआरडीए के नाम व प्रतीक चिन्ह वाली रसीदें भी जारी कर रहीं हैं। ऐसी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि ये संस्थाएं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और पीएफआरडीए के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट पर भी कर रही हैं।

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त किसी भी संस्था को पीएफआरडीए द्वारा उनकी वेबसाइट, किसी अन्य प्रकार के अन्य दस्तावेजों पर, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अथवा पीएफआरडीए के प्रतीक

चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए अधिकृत नहीं किया है और न ही ऐसी किसी संस्थाओं को किसी भी प्रकार से स्वालम्बन योजना के परिचालन हेतु अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2015 से स्वावलम्बन योजना में नये नामांकन पर रोक लगा दी गई है।

एनपीएस में शामिल होने के इच्छुक आम लोगों को सतर्कता बरतने और **सागा ट्रिप मार्केटिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं डी एस आर इलैक्ट्रोनिक और फाइनेंसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड** के साथ किसी भी प्रकार का लेन–देन न करने, अंशदान अथवा दस्तावेज न देने अथवा उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार न करने और केवल पीएफआरडीए द्वारा संकलनकर्ताओं अथवा उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकृत संस्थाओं के साथ ही संव्यवहार करने की सलाह दी जाती है, जिनकी जानकारी पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in और हमारे टोल फ्री नम्बर 1800 110 708 से प्राप्त की जा सकती है। एनपीएस से संबंधित जानकारी www.npstrust.org.in पर भी उपलब्ध है।

प्राधिकरण, किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी भी अनधिकृत संस्थाओं /व्यक्तियों के साथ किये गये संव्यवहार के कारण होने वाली क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और व्यक्ति विशेष इसके लिए स्वयं ज़िम्मेदार होगा। जन साधारण से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों की जानकारी पीएफआरडीए के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को grc@pfrda.org.in पर दें अथवा पीएफआरडीए को लिखे।

यह सार्वजनिक सूचना जन साधारण के हित में जारी की जाती है।

**आशीष कुमार**

महाप्रबंधक

पीएफआरडीए की ओर से/के लिए